न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झाडोल जिला उदयपुर (राज.)

सीन अधिकारी:– श्री कपिल कुमार कोठारी, आर.ए.एस.
रण संख्या:– 43/2021

तारीख दायर:– 19.08.2021
तारीख निर्णय:–04.04.2025

1. श्री धर्मनारायण पिता श्री जगनाथ पालीवाल निवासी ब्राहमणों का खेरवाडा तहसील झाडोल।
2. श्री जानकी लाल पिता श्री जगनाथ पालीवाल निवासी ब्राहमणों का खेरवाडा तहसील झाडोल।

..........वादी

बनाम

1. श्री अमृतलाल पिता श्री जगनाथ पालीवाल निवासी ब्रा0 का खेरवाडा तहसील झाडोल।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार झाडोल।

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट.

परिथत– वादी की ओर से– श्री भंवरसिंह झाला

प्रतिवादी की ओर से– श्री मुकेश पूर्बिया

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा ब्राहमणो का खेरवाडा पटवार ण्डल ब्राहमणों का खेरवाडा तहसील झाडोल में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य, खातेदारी की कृषि भूमि आराजी नम्बर 1438/748 रकबा 1.6400 है0 भूमि स्थित है, जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा निहित है। उक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 को दिनांक 25.12.1973 को संयुक्त में उपजिलाधीश झाडोल द्वारा आवंटन की गई, उस समय उक्त कृषि भूमि का साबिक आराजी नम्बर 1078 रकबा 10 बीघा का जो उक्त आवंटनशुदा भूमि का नामान्तरकरण दिनांक 24.08.1975 को प्रमाणित किया गया उसमें उक्त आराजी का नया साबिक आराजी नम्बर 1124/1038 बनाया गया। उपरोक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि का आवंटन के पश्चात नामान्तरकरण संख्या 158 खोलते समय लिपिकीय त्रुटी के कारण समस्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर दर्ज कर दी गई। वादीगण द्वारा दिनांक 20.12.2020 को उपरोक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि की नकल पटवार मण्डल ब्रा. का खेरवाडा से लेने गये तब वादीगण को पता चला कि विवादग्रस्त कृषि भूमि अकेले प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर दर्ज है। तब वादीगण द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर माननीय न्यायालय में वाद संस्थित किया गया। मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक 1/3–1/3 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि में वादीगण प्रत्येक को 1/3–1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः निवेदन किया गया कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर मौजा ब्राहमणो का खेरवाडा पटवार मण्डल ब्राहमणों का खेरवाडा तहसील झाडोल की आराजी नम्बर 1438/748 रकवा 1.

उपखण्ड अधिकारी
झाड़ोल, जिला-उदयपुर

Scanned with OKEN Scanner

है0 भूमि का वादीगण प्रत्येक को 1/3-1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने डिक्री प्रदान कराई जावें।

प्रकरण पेश होने पर वाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन मय त वाद पत्र के तलब किये गये। प्रतिवादी द्वारा प्रकरण में ईकबालिया जवाब दावा पेश कर निवेदन ा कि वादीगण का वाद माफिक प्रार्थना स्वीकार किया जाना है, तो मुझे कोई आपत्ती नही है। रण में ईकबालिया जवाब दावा पेश होने से तनकियात कायम नही की गई। वादीगण की साक्ष्य में ह श्री धर्मनारायण पिता जगन्नाथ पालीवाल, श्री देवीलाल पिता किशनलाल पालीवाल के शपथ पत्र हुए एवं वादीगण की साक्ष्य बन्द की गई। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की एक फा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने वादपत्र अंकित किये गये है।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आवंटन देश वर्ष 1974 के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 को संयुक्त आवंटित ई थी। पत्रावली पर उपलब्ध मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से साबिक आराजी संख्या 1124/1038 नये आराजी नम्बर 1438/748 बने है। प्रतिवादी संख्या एक द्वारा भी प्रकरण में ईकबालिया जवाब वा पेश कर वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेज, वादी धिवक्ता की बहस, जवाब दावा एवं शपथ पत्र के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना चित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है वं मौजा ब्राहमणो का खेरवाडा पटवार मण्डल ब्राहमणों का खेरवाडा तहसील झाडोल की आराजी म्बर 1438/748 रकबा 1.6400 है0 भूमि में वादीगण प्रत्येक को 1/3-1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 के खातेदारी में दर्ज रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल कुमार कोठारी)
उपखण्ड अधिकारी
झाडोल, जिला-उदयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झाडोल जिला उदयपुर (राज.)

वाद डिकी

ासीन अधिकारी:— श्री कपिल कुमार कोठारी, आर.ए.एस.
रण संख्या:— 43 / 2021

1. श्री धर्मनारायण पिता श्री जगनाथ पालीवाल निवासी ब्राहमणों का खेरवाडा तहसील झाडोल।
2. श्री जानकी लाल पिता श्री जगनाथ पालीवाल निवासी ब्राहमणों का खेरवाडा तहसील झाडोल।

.........वादी

बनाम

1. श्री अमृतलाल पिता श्री जगनाथ पालीवाल निवासी ब्रा0 का खेरवाडा तहसील झाडोल।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार झाडोल।

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.एक्ट.

स्थित— वादी की ओर से— श्री भंवरसिंह झाला

प्रतिवादी की ओर से— श्री मुकेश पूर्बिया

पत्रावली अन्तिम निपटारे के लिये आज दिनांक 04.04.2025 को प्रस्तुत होने पर वादी का वाद क वादी डिकी किया जाता है मौजा ब्राहमणो का खेरवाडा पटवार मण्डल ब्राहमणों का खेरवाडा सील झाडोल की आराजी नम्बर 1438 / 748 रकबा 1.6400 है0 भूमि में वादीगण प्रत्येक को ⁄3—1 / 3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष 1 / 3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या के खातेदारी में दर्ज रहेगा।

(कपिल कुमार कोठारी)
उपखण्ड अधिकारी
झाडोल जिला उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी
झाडोल जिला उदयपुर

Scanned with OKEN Scanner